मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन-भोपाल

क्रमांकः एफ 4-5/2017/नियम/चार भोपाल,दिनांक 28 अगस्त, 2017

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश ।

विषय- यात्रा भत्ता देयको का समय सीमा में निराकरण बावत् ।

-❖-

मानव अधिकार आयोग द्वारा शासन के ध्यान में लाया है कि शासकीय सेवकों के यात्रा भत्ता देयकों का भुगतान समय पर नहीं होने से कठिनाई आती है ।

2/ अतः शासकीय सेवकों द्वारा प्रस्तुत यात्रा भत्तों के सामयिक निराकरण के लिए उपयुक्त व्यवस्था निर्धारित किये जाने हेतु निम्नानुसार अनुरोध है :-

(1) शासकीय सेवकों द्वारा प्रस्तुत यात्रा भत्ता देयकों के भुगतान के लिये उपयुक्त समय सीमा का निर्धारण किया जाये ।
(2) कोषालय में प्रस्तुत देयकों में त्रुटि के प्रकाश में आने पर उसका तत्काल निराकरण कर कोषालय में देयक पुनः प्रस्तुत किया जाये ।
(3) समस्त विभागाध्यक्ष, कार्यालय प्रमुख एवं संभागीय अधिकारी अपने-अपने अधीनस्थ कार्यालयों में लंबित यात्रा भत्ता देयकों आदि के प्रकरणों की प्रतिमाह समीक्षा करें ।

3/ कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने हेतु सभी अधीनस्थ ईकाईयों को निर्देशित करने का कष्ट करें ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(अनिरूद्ध मुखर्जी)
प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृष्ठा.क्रमांक :एफ 4-5/2017/नियम/चार भोपाल, दिनांक 28 अगस्त, 2017

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
4. महालेखाकार (लेखा और हकदारी) द्वितीय मध्यप्रदेश ग्वालियर ।
5. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
6. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
8. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल /माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
9. आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
10. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
11. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
12. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, एवं लेखा, मध्यप्रदेश
13. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
14. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
15. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति मंत्रालय, भोपाल
16. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
17. सभी कोषालय अधिकारी /उप कोषालय अधिकारी
18. समस्त संभागीय/जिला पेंशन अधिकारी, मध्यप्रदेश
19. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।

(अजय चौबे)
उप सचिव
म.प्र.शासन, वित्त विभाग